



Neutral Citation No. - 2026:AHC:167092

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7804

सन् 2026

सभ्यजीत और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

संदीप कुमार यादव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष मणि त्रिपाठी को सुना।

2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 270 सन् 2026 के अन्तर्गत धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना-झाघा, ज़िला-गोरखपुर में आवेदकगण की ओर से दायर की गई है। इसमें उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदकगण को इस प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में चार दिन की देरी हुई है। मेडिकल जांच प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करती है। आवेदक संख्या 1 पर केवल उकसाने का आरोप है और आवेदक संख्या 2 पर धारदार हथियार से चोट पहुँचाने का आरोप है, जिसकी पुष्टि चोट की रिपोर्ट से नहीं होती है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है। उनका तर्क है कि घायल रामफल मल्लाह को गंभीर चोटें आई हैं, उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव के साथ चोट तथा फ्रंटल साइनस के स्तर पर फ्रंटल बोन की आंतरिक दीवार के वॉल्ट में फ्रैक्चर हुआ है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का समर्थन किया है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में चार दिन की देरी हुई है। अभिलेख पर मौजूद मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि मेडिकल परीक्षण दिनांक 15.05.2026 को, यानी घटना के लगभग दो दिन बाद की गई थी। आवेदक संख्या 2, कपूर चंद साहनी पर मारपीट करने का खास आरोप लगाया गया है। प्रकरण का एक दूसरा पक्ष भी है जिसमें कपूर चंद साहनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। अभी, जब दोनों तरफ से प्रकरण दर्ज हैं, तो यह तय करना सही नहीं होगा कि कौन सा पक्ष हमलावर है।

8. आवेदक संख्या 2, कपूर चंद साहनी की विशिष्ट भूमिका को देखते हुए, उन्हें अग्रिम ज़मानत देने का कोई आधार नहीं बनता है। **आवेदक संख्या 2 कपूर चंद साहनी की अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।**

9. हालाँकि, आवेदक संख्या 1 सभयजीत की भूमिका उकसाने की है। प्रथम दृष्टया, न्यायालय की राय में, घायलों की संख्या, लगी चोटों की संख्या और सह-अभियुक्त गोविंद और कपूर चंद साहनी की खास भूमिकाओं को देखते हुए, ज़रूरत से ज़्यादा फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आवेदक संख्या 1 का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।



10. आवेदक संख्या का 1 अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

11. अगर उक्त प्रकरण में शामिल **आवेदक संख्या 1 - सभयजीत** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करे तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- i. आवेदक संख्या 1 पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए ज़रूरत पड़ने पर हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक संख्या 1 प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

12. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

10 अगस्त, 2026

कुशल